

बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत की गई कार्रवाई से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन

अधिरण से संबंधित प्रतिवेदन (दिनांक- 27.02.18 तक)

क्र.सं०	जिला का नाम	समाहित प्रस्ताव					संनिहित वाहन की संख्या					जिला पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश				
		पु0अ0 बेतिया द्वारा	पु0अ0 बागहा द्वारा	उत्पाद अधीनक द्वारा	कुल	बैतिया	बागहा	उत्पाद अधीनक	कुल	शैतिया	बागहा	उत्पाद अधीनक द्वारा	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	पश्चिम चम्पारण	68	41	14	123	68	41	14	123	53	32	13	98			
						Two wheeler-56, Four wheeler- 8 Truck-01 Shop- 01 Petrol-pump-01	Two wheeler- 34 Four wheeler- 5 Boat-01 Cycle-01	Two wheeler- 13 Four wheeler- 1 103 Wheelar-14 Truck-01 Shop- 01 Petrol-pump-01	Cycle-02 Boat-01 Two Cycle- 01 Four wheelar- 03 Shop-01 Truck-01	Two wheeler- 26 Four wheeler- 4 cycle-01 Boat-01	Two wheeler- 12 Four Boat-01 Two Wheeler-79 Four Wheeler-7 Shop-01 Truck-01					

— विभिन्न निष्पत्ति विधियों पर अधिरणित वाहन/सामग्री में से कुल 26 वाहन की नीलामी हुई, जिसमें नं० 908,900.00 रु. प्राप्त हुए हैं, जिसे बाजान के माध्यम से शीर्ष में जमा किया गया है। शेष वाहनों के नीलामी की प्रक्रिया की जा रही है।

शराब विनष्टीकरण से संबंधित प्रतिवेदन

समाहित प्रस्ताव	जिला पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश	पारित आदेश में संनिहित शराब की मात्रा													
		शैतिया		बागहा		उत्पाद अधीनक/रेल थाना नरकटियागंज									
पु0अ0 बेतिया द्वारा	पु0अ0 बागहा द्वारा	उत्पाद अधीनक/रेल थाना नरकटियागंज द्वारा	कुल	देशी शराब	विदेशी शराब	देशी शराब	विदेशी शराब	देशी शराब	विदेशी शराब	कुल					
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	3
299	312	126	737	241	216	70	527	2651.710	9211.060	2769.000	2191.092	1483.950	564.980	6904.660	1196

नोट :- उपरोक्त के अतिरिक्त कुल 49730 लिटर इथेनॉल को अधिरणित किया गया है। मुख्य कार्रवाई पदाधिकारी, एच.पी.सी.एन. बायोपूरुस, पटना के अनुरोध पर इसे बिक्री हेतु बिक्रत शीघ्र को भेजा गया। इसके सम्बन्ध शशी नं० 1939470.0 (उन्नीस लाख उन्तालीस हजार चार सौ सत्तर रू०) प्राप्त हो चुका है।

अभियुक्ति -

1. पुलिस अधीक्षक, बेतिया को 58 प्रस्ताव न्युटिनियकरण हेतु वापस किए गए हैं। वापस करने का कारण थाना कांड बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 लागू होने की तिथि यथा 02.10.16 के पूर्व होने अथवा शराब का रासायनिक जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त रहने अथवा अन्य न्युटियाँ हैं।
2. पुलिस अधीक्षक, बागहा को 96 प्रस्ताव न्युटिनियकरण हेतु वापस किए गए हैं। वापस करने का कारण थाना कांड बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 लागू होने की तिथि यथा 02.10.16 के पूर्व होने अथवा शराब का रासायनिक जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त रहने अथवा अन्य न्युटियाँ हैं।
3. अधीक्षक उत्पाद, बेतिया को 48 तथा रेल थानाअध्यक्ष, नरकटियागंज को 08 प्रस्ताव न्युटिनियकरण हेतु वापस किए गए हैं। वापस करने का कारण कांड बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 लागू होने की यथा 02.10.16 के पूर्व होना है।
4. अधिरणण से संबंधित मामलों में वाहन स्वामी का नाम नहीं रहने अथवा वाहन स्वामी के उपस्थित नहीं होने की स्थिति में दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से आम सूचना का प्रकाशन, जिला के वेबसाई पर सूचना का प्रकाशन, प्रखंड/अंचलों में आम सूचना का प्रकाशन एवं वाहन स्वामी को निबंधित डॉक के माध्यम से नोटिस भेजने की कार्रवाई की गई है।

प्रभारी पदाधिकारी
जिला मद्य निषेध
पश्चिम चम्पारण, बेतिया